कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा (राज.)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

2020/00154

ज अदालत: उपखण्ड अधिकारी कनवास — मुकाम: रामकवली कोटड़ा

बनाम: गणपत S/o बाबू

म मुकदमा: शांतिभंग 122 (क) — नं: — सन्: 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
9/10/2020	प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 9/10/20 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर (illegible) आरोपी (illegible) खाता से धन के पहुंच के लिए याचना है। पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही याचना का समाधान ग्राम पंचायत कनवास एवं तहसील कनवास हाजे नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते के खातेदार गणपत S/o बाबू एवं प्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को समझाईश की गई। अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण के मध्य आपसी रामीनामा अनुसार धारा 343 में जाते हैं। अप्रार्थी गणपत धारा 346 में 12 फुट रास्ता देना स्वीकार किया एवं प्रार्थीगण उतने ही रास्ते में (illegible) लगाये हुए अप्रार्थी का (illegible) अप्रार्थी का कोटा, प्रार्थीगण (illegible) पूर्ण करके देंगे। रामीनामा आ० पत्रावली किया गया। पत्रावली फाईल हुआ है। नकल (illegible) देकर दाखिल दफ्तर है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.01.18 13:36:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट